

20/12/16

जार्जना पत्र पेश हुआ। जार्जना पत्र क्र. १०६/१३६ LRAct
स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से टीकित किया जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार कोटकासिम को
निर्णय की प्रति के साथ अहकाम जारी हो। पत्रावली
नम्बर से काम होकर लेब भरदार हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेदी लाल मीना (R.A.S.)

दावा संख्या 55/16

दायर दिनांक 27.12.2016

निर्णय दिनांक 28.12.2016

अनुवान

सरकार

बनाम

सुभाष वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि यह है कि तहसीलदार कोटकासिम के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर टी ए 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाके ग्राम देवसीका तहसील कोटकासिम हाल आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 0.61 है. किस्म बारानी प्रथम, 115 रकबा 0.27 है. किस्म बारानी प्रथम, 116 रकबा 0.38 है. किस्म बारानी प्रथम, 118 रकबा 0.38 है. किस्म बारानी प्रथम, 119 रकबा 0.63 है. किस्म बारानी प्रथम राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी/गैर खातेदारी हक में दर्ज रिकार्ड है। एवं खसरा नम्बर 114 रकबा 0.61 है. किस्म बारानी प्रथम, 115 रकबा 0.27 है. किस्म बारानी प्रथम, 116 रकबा 0.38 है. किस्म बारानी प्रथम, 118 रकबा 0.38 है. किस्म बारानी प्रथम, 119 रकबा 0.63 है. किस्म बारानी प्रथम में से कच्चा/पक्का रास्ता कायम होकर सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। खसरा नम्बर 114 रकबा 0.61 है. में से 0.04 है., खसरा नम्बर 115 रकबा 0.27 है. में से 0.02 है., खसरा नम्बर 116 रकबा 0.38 है. में से 0.02 है., खसरा नम्बर 118 रकबा 0.38 है. में से 0.02 है., खसरा नम्बर 119 रकबा 0.63 है. में से 0.04 है. भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है।

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक: प.

3(2)राज.6/2009/पार्ट/04 दिनांक 10/08/2016 के परिपेक्ष में चालु स्थाई रास्ते

है जो बारहमासी है तथा मौसम/ऋतु अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने


जाने हेतु उपलब्ध है। ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम

58,59,60,66 एवं 86 के प्रावधानुसार अंकन किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः

उपरोक्त आराजी में से रास्ते के रूप में काम आ रहे भू-भाग को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करने की आज्ञा प्रदान करे ।

प्रकरण को दर्ज किया जाकर अवलोकन किया गया और पाया कि ग्राम देवसीका के खसरा नम्बर 114 रकबा 0.61 है. में से 0.04 है., खसरा नम्बर 115 रकबा 0.27 है. में से 0.02 है., खसरा नम्बर 116 रकबा 0.38 है. में से 0.02 है., खसरा नम्बर 118 रकबा 0.38 है. में से 0.02 है., खसरा नम्बर 119 रकबा 0.63 है. में से 0.04 है. वर्तमान में मौके पर रास्ता चालु है तथा अर्से दराज से चालु है एवं स्थानिय निवासी आने जाने, माल समान के परिवहन हेतु रास्ते के रूप में उपयोग लेते आ रहे है। इस संबंध में तहसीलदार, कोटकासिम के द्वारा संबंधित खसरा नम्बरान के खातेदारान को परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के प्रावधानों के अनुसार सम्मन भी दिया गया और नियत अवधि में काश्तकारों द्वारा कोई आक्षेप पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि किसी भी काश्तकार को उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने से कोई आपत्ति नहीं है।

अतः आदेश है कि ग्राम देवसीका के खसरा नम्बर 114 रकबा 0.61 है. में से 0.04 है., खसरा नम्बर 115 रकबा 0.27 है. में से 0.02 है., खसरा नम्बर 116 रकबा 0.38 है. में से 0.02 है., खसरा नम्बर 118 रकबा 0.38 है. में से 0.02 है., खसरा नम्बर 119 रकबा 0.63 है. में से 0.04 है. किस्म बारानी प्रथम से तहसीलदार कोटकासिम की रिपोर्ट अनुसार चालु रास्ते का पृथक खसरा नम्बर कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्त अंकन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।


उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)